उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Transmission Corporation Ltd.

(U.P. Government Undertaking)

CIN: U40101UP2004SGC028687 | GSTN: 09AAACU8823E1Z9

कमरा नं0 320, तृतीय तल, शक्ति भवन,
14 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001
फैक्स संख्या – 8320

Room No. 320,
IIIrd Floor, Shakti Bhawan,
14-Ashok Marg, Lucknow-226001
E-mail - dgmtaxuppcl@gmail.com

पत्र सं0: 70 / उ0म0प्र0(टैक्स) / जी0एस0टी0 सेल / 2019

दिनांक 30 /09/ 2019

कार्यालय ज्ञाप

विभिन्न खण्डों / उपभोक्ताओं द्वारा जमा कार्यों के एस्टीमेट पर दोहरा जी0एस0टी0 भारित किये जाने के संबंध में की गई आपत्तियों के दृष्टिगत उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0 द्वारा किये जा रहे जमा कार्यों पर जी0एस0टी0 के संबंध में एडवान्स रूलिंग का आवेदन दाखिल किया गया था, जिसके निर्णय सं0 37 दिनांक 05.08.2019 (प्रति संलग्न) के अनुसार जमा कार्यों पर जी0एस0टी0 देय होगा एवं जमा कार्यों हेतु प्राप्त माल अथवा सेवाओं पर भुगतान किया गया जी0एस0टी0 का इनपुट टैक्स केडिट (आई0टी0सी0) उपलब्ध नहीं होगा। अतः इस कार्यालय द्वारा जमा कार्यों पर जी0एस0टी0 के सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत आदेश संख्या 08 / उ0म0प्र0(टैक्स) / जी0एस0टी0 सेल / 2018 दिनांक 23.02.2018 एवं 15 / उ0म0प्र0(टैक्स) / जी0एस0टी0 सेल / 2019 दिनांक 13.03.2019 द्वारा निर्गत दिशा निर्देश लागू रहेंगे तद्नुसार अग्रिम आदेशों तक उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0 द्वारा सभी उपभोक्ताओं से जमा मद में कराये जाने वाले कार्यों पर पूर्व निर्गत निर्देशों के अनुसार ही जी0एस0टी0 वसूला जाना अपरिहार्य है।

एथॉरिटि फॉर एडवांस रूलिंग उ0प्र0 द्वारा निर्गत उपरोक्त आदेशों के अनुकम में उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपीनेडा) को पूर्व में निर्गत पत्रांक 65 / उ0म0प्र0(टैक्स) / जी0एस0टी0 सेल / 2019 दिनांक 18.09.2019 के द्वारा दी गयी जी0एस0टी0 से छूट को पूर्वव्यापी प्रभाव से समाप्त किया जाता है एवं पत्र सं0: 64 / उ0म0प्र0(टैक्स) / जी0एस0टी0 सेल / 2019 दिनांक: 17.09.2019 में चतुर्थ अनुच्छेद में अंकित *"ज्ञात हो कि ऐसे प्रकरण जहाँ दिनांक 13.10.2017 के बाद उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपीनेडा) द्वारा उपलब्ध कराई गयी धनराशि से कार्य कराया जा रहा है एवं उसका प्रतिफल उ0प्र0 सरकार द्वारा अनुदान (Grant) के रूप में दिया जा रहा है, ऐसे प्रकरणों में प्राक्कलन में सभी खर्चों के बाद निगम द्वारा अंतिम रूप में भारित किया जाने वाला जी.एस.टी. भारित नही किया जायेगा एवं प्रतिफल राशि को भी Consumer Contribution Reserve के ए.जी. कोड (55.102) में न केडिट कर Capital Grant/ Subsidies (55.203) के ए.जी. कोड में केडिट किया जायेगा"* निर्देशों को भी पूर्वगामी तिथि से ही अमान्य किया जाता है।

उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपीनेडा) के सभी जमा कार्यों पर उनके सभी पूर्व व वर्तमान कार्यों पर जी0एस0टी0 भारित किया जायेगा। कृपया तदनुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

संलग्नकः यथोपरोक्त।

(सेंथिल पांडियन सी.)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपिः– / उ0म0प्र0(टैक्स) / जी0एस0टी0 सेल / 2019 / तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक (वित्त) उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. निदेशक (वित्त) / (कार्मिक एवं प्रबन्धन) / (ऑपरेशन) / (कार्य एवं परियोजना) / (वाणिज्य एवं नियोजन) / (एस0एल0डी0सी0) उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन / गोमतीनगर, लखनऊ।

3. निदेशक (वित्त), मध्यांचल/पूर्वांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0,लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/आगरा।
4. मुख्य अभियन्ता (डी0 एण्ड पी0)/765 केवी/सी0 एण्ड सी0/सी0एम0यू0डी0/ जानपद (i)/(ii) उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन/गोमतीनगर, लखनऊ।
5. मुख्य अभियन्ता/उप महाप्रबन्धक (लेखा), परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय, पारेषण मध्य/पूर्व/पश्चिम/दक्षिण, लखनऊ/इलाहाबाद/मेरठ/ आगरा।
6. उप महाप्रबन्धक (लेखा), केस्को कानपुर।
7. समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0।
8. उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपीनेडा), (पत्रांक 65/उ0म0प्र0(टैक्स)/जी0एस0टी0 सेल/2019 दिनांक 18.09.2019 के संदर्भ में)
9. अधिशासी अभियन्ता, सम्बद्ध निदेशक (आपरेशन), उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, 11वां तल, शक्ति भवन विस्तार, को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(एल0के0 गुप्ता)
महाप्रबन्धक(लेखा एवं सम्प्रेक्षा)

AUTHORITY FOR ADVANCE RULING –UTTAR PRADESH
4, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow

PROCEEDING OF THE AUTHORITY FOR ADVANCE RULING U/S. 98 OF THE GOODS AND SERVICES TAX ACT, 2017

Sub:- GST ACT, 2017 – Advance Ruling U/s 98 – liability to tax under GST Act in respect to application dated 02.05.2019 from M/s Uttar Pradesh Power Transmission Corporation Limited, Lucknow, Uttar Pradesh – Order– Reg.

****

1) M/s Uttar Pradesh Power Transmission Corporation Limited, Shakti Bhawan, 14-A, Ashok Marg, Lucknow, Uttar Pradesh - 226020 (here in after called the applicant) is a registered assessee under GST having GSTN: 09AAACU8823E1Z9.

2) The applicant is notified as the state transmission utility of Uttar Pradesh and entrusted with the business of transmission of electrical energy to various licensees within the State of Uttar Pradesh.

3) The Applicant has submitted application for Advance Ruling dated 02.05.2019 enclosing duly filled Form ARA-01(the application form for Advance Ruling) along with annexure and attachment.

4) The Applicant in his application sought clarification and Advance Ruling as follows : –

i. Whether the Deposit Work undertaken by Applicant is an integral part of supply of services of transmission or distribution of electricity?
ii. Whether the Deposit Work undertaken by Applicant is ancillary to the principal supply of transmission or distribution of electricity?
iii. Whether the exemption given under Entry No. 25 of the exemption notification for services by way of transmission or distribution of

electricity by an electricity transmission or distribution utility will be applicable on Applicant?

iv. Whether ITC is available to the applicant in undertaking "Deposit Works" i.e. creating infrastructure for electricity transmission?

5) The application for advance ruling was forwarded to the Jurisdictional GST Officer to offer their comments/views/verification report on the matter, which were received in the office vide letter C. No. 01/CGST & C.Ex./Div Lko-1/Misc Corr/2018-19/2869 dated 03.07.2019.

SUBMISSION OF THE APPLICANT

6) The applicant made the following submissions:

6.1) The applicant has been notified as State Transmission Utility of Uttar Pradesh entrusted with the business of transmission of electrical energy to various licensees within the State of Uttar Pradesh. The applicant has been incorporated with the main objective to acquire, establish, construct, take over, erect, lay, operate, run, manage, hire, lease, buy, sell, maintain, enlarge, alter, renovate, modernize, work and use electrical transmission lines and/or network through extra high voltage, high voltage and associated sub-stations, cables, wires, connected with transmission ancillary services, telecommunication and telemetering equipment in the State of Uttar Pradesh.

6.2) In terms of Electricity Act 2003, if any infrastructure is required to be enhanced then, the distribution licensee is entitled to recover the cost from consumer for the same. The Applicant, on request of the distribution company, would lay down the required infrastructure and would recover the cost from the consumer directly. This activity of the Applicant has been referred as Deposit Work. The above cost is not made part of tariff charges or transmission charges for the sole reason that this relates to individual person or class of persons which can be easily identified and hence, this recovery is made directly from such persons or class of persons. In case such cost is considered while determining the tariff charges then, this will spread over to all the recipients which may not be appropriate for other consumers who have not used the infrastructure developed in the instant case.

6.3) The applicant collects the actual cost for undertaking the said work from the customer. Apart from this, the applicant also recovers supervision charges for executing and monitoring the entire transmission work.

6.4) Entry No. 25 of Notification No. 12/2017-Central Tax (Rate) dated 28.06.2017 exempts the services of transmission or distribution of electricity by an electricity transmission or distribution utility. The deposit work undertaken by the applicant falls within the ambit of "Transmission or distribution of electricity".

6.5) Providing electric line and electric plant are elements of service which are naturally bundled in the ordinary course of business, with the principal service of transmission of electricity which gives the bundle its essential character. Consequently, the supplies are composite in nature and transmission of electricity is the principal supply. Accordingly, the exemption given to transmission or distribution of electricity will also be extended to Deposit Work undertaken by the Applicant.

6.6) If it is held that the Deposit Work undertaken by the Applicant is a taxable supply under GST regime still, whether the Applicant shall be entitled to claim input tax credit ("ITC") related to goods and services used in the course of undertaking this work.

7) The applicant was granted a personal hearing on 24.07.2019. Shri Kapil Kumar Sharma, Advocate Authorized representatives on behalf of applicant appeared for hearing.

During the personal hearing they submitted a detailed written submission and stated that as per their understanding Non tariff charges are integral part of transmission service provided by them. It was also submitted that the issue of Credit or Exemption may also be considered while taking the decision.

DISCUSSION AND FINDING

8) We have gone through the submission made by the applicant and examined the detailed explanation submitted by them. We observe that the question sought by the applicant is-

a. Whether the Deposit Work undertaken by Applicant is an integral part of supply of services of transmission or distribution of electricity?
b. Whether the Deposit Work undertaken by Applicant is ancillary to the principal supply of transmission or distribution of electricity?

c. Whether the exemption given under Entry No. 25 of the exemption notification for services by way of transmission or distribution of electricity by an electricity transmission or distribution utility will be applicable on Applicant?

d. Whether ITC is available to the applicant in undertaking "Deposit Works" i.e. creating infrastructure for electricity transmission?

9) As regard to the term composite supply, we observe that, for a supply to be consider as a composite supply, its constituent supplies should be so integrated with each other that one is not supplied in the ordinary course of business without or independent of the other. In other words they are naturally bundled. The concept of the "Naturally Bundled", used in Section 2(30) of the CGST Act 2017, lays emphasis on the fact that the different element in a composite supply are integral to the overall supply and if one of the element is removed the nature of supply will be affected. However here it is seen that the deposit work under taken by the appellant are not directly related with the transmission of electricity and transmission of electricity may take place with or without depositary work. Further the appellant, in its submission, have also submitted that the amount for the depositary work is collected only from those customers who have availed the said service and the said amount is recovered as non tariff charge. This itself shows that the transmission of electricity is independent of depository work under taken by the appellant.

10) The applicant has placed reliance on the decision of Hon'ble Gujarat High Court in the case of Torrent Power Ltd. Versus Union of India reported at 2018 (17) G.S.T.L. 183 (Guj). In this regard we observe that the department is contemplating to file SLP before the Hon'ble Supreme Court of India against the said order.

11) Further, vide the Circular No. 34/8/2018-GST dated 01.03.2018, issued vide F. No. 354/17/2018, as regard to the activities carried by the DISCOMS against recovery of charges from consumers under State Electricity Act,, it has been clarified that:

"Service by way of transmission or distribution of electricity by an electricity transmission or distribution utility is exempt from GST under Notification No. 12/2017-C.T. (R), Sl. No. 25. The other services such as,:-

i. *Application fee for releasing connection of electricity;*

ii. Rental Charges against metering equipment;

iii. Testing fee for meters/ transformers, capacitors etc;

iv. Labour charges from customers for shifting of meters or shifting of service lines;

v. Charges for duplicate bill;

Provided by DISCOMS to consumer are taxable."

12) Therefore, in view of the clarification issued under the Circular No. 34/8/2018-GST dated 01.03.2018, issued vide F. No. 354/17/2018, and as discussed in the above para, it is observed that the deposit work under taken by the applicant are not an integral part of the supply of services of transmission or distribution of electricity and the applicant is not eligible to avail the exemption from levy of GST under Entry No. 25 of Notification 12/2017-Centrla Tax (Rate) dated 28.06.2017 bearing description "Transmission or distribution of electricity by an electricity transmission or distribution utility" with respect to the non tariff charges recovered from their customers.

13) As regard to the question "whether ITC is available to the applicant in undertaking "Deposit Works" i.e. creating infrastructure for electricity transmission", we noticed that:

a. the Applicant, on request of the distribution company, would lay down the required infrastructure and would recover the cost from the consumer directly.

b. In the Annexure-II i.e. "*Statement containing applicant's interpretation of Law and/or facts, as the case may be, in respect of the question(s) on which advance ruling is required*" the applicant has itself admitted that they does not qualify to be eligible to claim ITC, however in the submission made by the applicant at the time of personal hearing, they have submitted that the deposit work under taken by them may qualify to be construction of immovable property, and the said constructed property will qualify to be plant and machinery hence they are eligible to claim input tax credit.

14) Here we notice that Section 17 of the CGST Act 2017, talks about the "Apportionment of credit and blocked credit" and as per Section 17(5):

"(5) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) of section 16 and sub-section (1) of section 18, input tax credit shall not be available in respect of the following, namely :—

...

(c) works contract services when supplied for construction of an immovable property (other than plant and machinery) except where it is an input service for further supply of works contract service;

(d) goods or services or both received by a taxable person for construction of an immovable property (other than plant and machinery) on his own account including when such goods or services or both are used in the course or furtherance of business."

15) Further The expression "plant and machinery" is defined in Explanation to Section 17(6) of CGST Act, which is as under;

"Explanation- For the purposes of this Chapter and Chapter VI, the expression, "plant and machinery" means apparatus, equipment and machinery fixed to earth by foundation or structural support that are used for making outward supply of goods or services or both and includes such foundation and structural supports but excludes-

(i) land, building or any other civil structures;

(ii) telecommunication towers; and

(iii) pipelines laid outside the factory premises"

16) From the above discussion we found that the immovable property created by the applicant does not falls under the category of "plants and machinery" therefore they are not eligible to claim Input Tax Credit.

In view of the above, both the members unanimously rule as under;

RULING

i. Whether the Deposit Work undertaken by Applicant is an integral part of supply of services of transmission or distribution of electricity?

Ans: No.

ii. Whether the Deposit Work undertaken by Applicant is ancillary to the principal supply of transmission or distribution of electricity?
Ans: No

iii. Whether the exemption given under Entry No. 25 of the exemption notification for services by way of transmission or distribution of electricity by an electricity transmission or distribution utility will be applicable on Applicant?
Ans: No

iv. Whether ITC is available to the applicant in undertaking "Deposit Works" i.e. creating infrastructure for electricity transmission?

Ans: Not eligible to claim Input Tax Credit

Vivek Kumar Jain
Member of Authority for Advance Ruling

Sanjay Kumar Pathak
Member of Authority for Advance Ruling

To,

M/s Uttar Pradesh Power Transmission Corporation Limited,
Shakti Bhawan, 14-A,
Ashok Marg, Lucknow,
Uttar Pradesh – 226020

AUTHORITY FOR ADVANCE RULING -UTTAR PRADESH

Order No. 37 Date: 05.08.2019

Copy to -

1. The Chief Commissioner, CGST & Central Excise, Lucknow, Member, Appellate Authority of Advance Ruling.
2. The Commissioner, Commercial Tax, Uttar Pradesh, Member, Appellate Authority of Advance Ruling.
3. The Commissioner, CGST & CX, Lucknow, Uttar Pradesh.
4. The Assistant Commissioner, CGST & Central Excise, Division-I, Lucknow, Uttar Pradesh;
5. Through the Additional Commissioner, Commercial Tax, Lucknow, Uttar Pradesh to jurisdictional tax assessing officers.

उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Transmission Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

CIN:U40101UP2004SGC028687 | GSTN: 09AAACU8823E1Z9

कारपोरेट टैक्स (जी0एस0टी0 सेल) Corporate Tax (GST Cell)

कक्ष संख्या–320,तृतीय तल, शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ–226001, ई–मेल - dgmtaxuppcl@gmail.com

Room No. 320 IIIrd Floor, Shakti Bhawan, 14-Ashok Marg, Lucknow-226001, RAX – 8320,

पत्र सं0: 64 / उ0म0प्र0(टैक्स) / जी0एस0टी0 सेल / 2019 / दिनांक: 17 / 09 / 2019

निदेशक (कार्य एवं परियोजना) / निदेशक (आपरेशन)
उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन, लखनऊ।

विषय: जमा मद में कार्यो पर जी.एस.टी. के संबन्ध में।

अवगत कराना चाहेंगे कि जी.एस.टी. लागू होने के उपरान्त जमा मद में किये जाने वाले कार्य जी.एस.टी. के दायरे में आ गये है, अतः जमा मद में किये जाने वाले कार्यो पर जी.एस.टी. की देयता बनती है। दिनांक 01.07.2017 से अब तक जमा मद में प्राप्त की गयी धनराशि जी.एस.टी. रिटर्न से मिलान नही खाती है। इस प्रकार के अन्तर के निम्नलिखित कारण हो सकते है, जिसके समाधान निम्न तालिका में कारण के सापेक्ष अंकित है–

कम संख्या	अंतर का कारण	समाधान
1.	इकाइयों द्वारा प्राक्कलन में जी.एस.टी. चार्ज न करना।	उपभोक्ताओ को जी.एस.टी. लगाकर संशोधित प्राक्कलन निर्गत किये जाए एवं जी.एस.टी. की राशि तत्काल रूप से प्राप्त कर ली जाए।
2.	जुलाई 2017 से पूर्व के ऐसे कार्य जिनकी धनराशि बाद में प्राप्त हुई है परन्तु प्राक्कलन जी.एस.टी. के अनुरूप संशोधित नही किया गया हो।	
3.	उपभोक्ता द्वारा डिपोसिट की राशि के साथ जी.एस.टी. की राशि जमा न करना।	उपभोक्ताओं से जी.एस.टी. की राशि प्राप्त कर ली जाए अथवा उनसे प्राप्त धनराशि को जी.एस.टी. सम्मिलित मानते हुए जी.एस.टी. जमा कराया जाए।
4.	उपभोक्ता द्वारा किश्तो में बिना जी.एस.टी. डिपोसिट की राशि जमा करना।	
5.	जी.एस.टी. सहित धनराशि प्राप्त होने पर भी खण्ड द्वारा जी.एस.टी. का भुगतान नही किया गया हो।	खण्ड द्वारा तत्काल रूप से जी.एस.टी. का भुगतान किया जाए।

ऐसे प्रकरण जहाँ उपभोक्ताओं द्वारा जी.एस.टी. की राशि का भुगतान नही किया जा रहा है अथवा टाला जा रहा है, ऐसी स्थिति में उपयुक्त होगा कि कराये जा रहे कार्य यथास्थिति में रोक दिया जाए तथा जो भी धनराशि उपलब्ध है उसमे सर्वप्रथम जी.एस.टी. का भुगतान कराया जाए तदोपरान्त कार्य पूर्ण किया जाए।

इसके अतिरिक्त जमा मद कार्य की समाप्ति उपरान्त टैक्स इनवाइस निर्गत करना अनिवार्य है। ऐसे प्रकरण जिनमे जमा मद में धनराशि प्राप्त होने पर उपभोक्ताओ को रिसिप्ट वाउचर निर्गत किये गये थे, ऐसी स्थिति में सभी इकाईयाँ सुनिश्चित करे कि कार्य समाप्ती उपरान्त टैक्स इनवाइस उस समय निर्गत किये जाये। इससे संबंधित दिशा–निर्देश पत्र सं0 08 / उ0म0प्र0(टैक्स) / जी.एस.टी. सेल / 2018 दिनांक 23.02.2018 द्वारा निर्गत किये जा चुके है।

ज्ञात हो कि ऐसे प्रकरण जहाँ दिनांक 13.10.2017 के बाद उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपीनेडा) द्वारा उपलब्ध कराई गयी धनराशि से कार्य कराया जा रहा है एवं उसका प्रतिफल उ0प्र0 सरकार द्वारा अनुदान (Grant) के रूप में दिया जा रहा है, ऐसे प्रकरणों में प्राक्कलन में सभी खर्चो के बाद निगम द्वारा अंतिम रूप में भारित किया जाने वाला जी.एस.टी. भारित नही किया जायेगा एवं प्रतिफल राशि को भी Consumer Contribution Reserve के ए.जी. कोड (55.102) में न क्रेडिट कर Capital Grant/ Subsidies (55.203) के ए.जी. कोड में क्रेडिट किया जायेगा।

उपरोक्त के आधार पर सुनिश्चित किया जाये कि दिनांक 01.07.2017 से अब तक हुए जमा कार्यो पर जी.एस.टी. का भुगतान किया जा चुका है एवं इसकी सूचना दिनांक 30.09.2019 तक उपलब्ध कराने का कष्ट करें। कृपया अपने स्तर से सभी मुख्य अभियन्ता / अधीक्षण अभियन्ता / खण्ड को निदेशित कर तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करायें। जी.एस.टी. विभाग द्वारा यदि कोई पेनाल्टी लगाई जाती है उसका पूर्ण दायित्व व्यक्तिगत रूप से संबंधित खण्डीय अधिकारियों / कर्मचारियों का होगा।

भवदीय,

(सेंथिल पांडियन सी.)
प्रबन्ध निदेशक

उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
U.P. Power Transmission Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)

CIN:U40101UP2004SGC028687 | GSTN: 09AAACU8823E1Z9

कारपोरेट टैक्स (जी0एस0टी0 सेल) Corporate Tax (GST Cell)

कक्ष संख्या–320,तृतीय तल, शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ–226001, ई–मेल - dgmtaxuppcl@gmail.com
Room No. 320 IIIrd Floor, Shakti Bhawan, 14-Ashok Marg, Lucknow-226001, RAX – 8320,

पत्र सं0: 64 / उ0म0प्र0(टैक्स)/जी0एस0टी0 सेल/2019/

दिनांक: 17/09/2019

निदेशक (कार्य एवं परियोजना)/निदेशक (आपरेशन)
उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन, लखनऊ।

विषयः जमा मद में कार्यो पर जी.एस.टी. के संबन्ध में।

अवगत कराना चाहेंगे कि जी.एस.टी. लागू होने के उपरान्त जमा मद में किये जाने वाले कार्य जी.एस.टी. के दायरे में आ गये है, अतः जमा मद में किये जाने वाले कार्यो पर जी.एस.टी. की देयता बनती है। दिनांक 01.07.2017 से अब तक जमा मद में प्राप्त की गयी धनराशि जी.एस.टी. रिटर्न से मिलान नही खाती है। इस प्रकार के अन्तर के निम्नलिखित कारण हो सकते है, जिसके समाधान निम्न तालिका में कारण के सापेक्ष अंकित है–

कम संख्या	अंतर का कारण	समाधान
1.	इकाइयों द्वारा प्राक्कलन में जी.एस.टी. चार्ज न करना।	उपमोक्ताओ को जी.एस.टी. लगाकर संशोधित प्राक्कलन निर्गत किये जाए एवं जी.एस.टी. की राशि तत्काल रूप से प्राप्त कर ली जाए।
2.	जुलाई 2017 से पूर्व के ऐसे कार्य जिनकी धनराशि बाद में प्राप्त हुई है परन्तु प्राक्कलन जी.एस.टी. के अनुरूप संशोधित नही किया गया हो।	
3.	उपभोक्ता द्वारा डिपोसिट की राशि के साथ जी.एस.टी. की राशि जमा न करना।	उपभोक्ताओं से जी.एस.टी. की राशि प्राप्त कर ली जाए अथवा उनसे प्राप्त धनराशि को जी.एस.टी. सम्मिलित मानते हुए जी.एस.टी. जमा कराया जाए।
4.	उपभोक्ता द्वारा किश्तो में बिना जी.एस.टी. डिपोसिट की राशि जमा करना।	
5.	जी.एस.टी. सहित धनराशि प्राप्त होने पर भी खण्ड द्वारा जी.एस.टी. का भुगतान नही किया गया हो।	खण्ड द्वारा तत्काल रूप से जी.एस.टी. का भुगतान किया जाए।

ऐसे प्रकरण जहाँ उपभोक्ताओं द्वारा जी.एस.टी. की राशि का भुगतान नही किया जा रहा है अथवा टाला जा रहा है, ऐसी स्थिति में उपयुक्त होगा कि कराये जा रहे कार्य यथास्थिति में रोक दिया जाए तथा जो भी धनराशि उपलब्ध है उसमे सर्वप्रथम जी.एस.टी. का भुगतान कराया जाए तदोपरान्त कार्य पूर्ण किया जाए।

इसके अतिरिक्त जमा मद कार्य की समाप्ति उपरान्त टैक्स इनवाइस निर्गत करना अनिवार्य है। ऐसे प्रकरण जिनमे जमा मद में धनराशि प्राप्त होने पर उपभोक्ताओ को रिसिप्ट वाउचर निर्गत किये गये थे, ऐसी स्थिति में सभी इकाईयाँ सुनिश्चित करे कि कार्य समाप्ती उपरान्त टैक्स इनवाइस उस समय निर्गत किये जाये। इससे संबंधित दिशा–निर्देश पत्र सं0 08/उ0म0प्र0(टैक्स)/जी.एस.टी. सेल/2018 दिनांक 23.02.2018 द्वारा निर्गत किये जा चुके है।

ज्ञात हो कि ऐसे प्रकरण जहाँ दिनांक 13.10.2017 के बाद उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपीनेडा) द्वारा उपलब्ध कराई गयी धनराशि से कार्य कराया जा रहा है एवं उसका प्रतिफल उ0प्र0 सरकार द्वारा अनुदान (Grant) के रूप में दिया जा रहा है, ऐसे प्रकरणों में प्राक्कलन में सभी खर्चो के बाद निगम द्वारा अंतिम रूप में भारित किया जाने वाला जी.एस.टी. भारित नही किया जायेगा एवं प्रतिफल राशि को भी Consumer Contribution Reserve के ए.जी. कोड (55.102) में न क्रेडिट कर Capital Grant/ Subsidies (55.203) के ए.जी. कोड में क्रेडिट किया जायेगा।

उपरोक्त के आधार पर सुनिश्चित किया जाये कि दिनांक 01.07.2017 से अब तक हुए जमा कार्यो पर जी.एस.टी. का भुगतान किया जा चुका है एवं इसकी सूचना दिनांक 30.09.2019 तक उपलब्ध कराने का कष्ट करें। कृपया अपने स्तर से सभी मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता/खण्ड को निदेशित कर तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करायें। जी.एस.टी. विभाग द्वारा यदि कोई पेनाल्टी लगाई जाती है उसका पूर्ण दायित्व व्यक्तिगत रूप से संबंधित खण्डीय अधिकारियों/कर्मचारियों का होगा।

भवदीय,

(सेंथिल पांडियन सी.)
प्रबन्ध निदेशक

उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
U.P. Power Transmission Corporation Limited
(U.P. Government Undertaking)
CIN:U40101UP2004SGC028687 | GSTN: 09AAACU8823E1Z9
कारपोरेट टैक्स (जी0एस0टी0 सेल) Corporate Tax (GST Cell)
कक्ष संख्या–320,तृतीय तल, शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ–226001, ई–मेल - dgmtaxuppcl@gmail.com
Room No. 320 IIrd Floor, Shakti Bhawan, 14-Ashok Marg, Lucknow-226001, RAX – 8320,

पत्र सं0: 65 / उ0म0प्र0(टैक्स)/जी0एस0टी0 सेल/2019/ दिनांक: 18/09/2019

सचिव एवं मुख्य परियोजना अधिकारी,
यूपीनेडा, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर,
लखनऊ।

विषय: जनपद झाँसी में प्रस्तावित 50 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र की ऊर्जा निकासी हेतु 132 के0वी0 लाइन की लम्बाई बढ़ जाने के कारण संशोधित प्राक्कलन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में अवगत कराना चाहेंगे कि जी.एस.टी. की Notification सं 32/2017 Central Tax (Rate) दिनांक 13.10.2017 के अनुसार किसी Government Entity द्वारा केन्द्र सरकार/राज्य सरकार अथवा लोकल अथॉरिटी को दी जाने वाली सेवाओ पर, जिसका प्रतिफल केन्द्र सरकार/राज्य सरकार अथवा लोकल अथॉरिटी द्वारा अनुदान (Grant) के रूप में दिया जायेगा, जी.एस.टी. की दर शून्य होगी।

प्रस्तुत प्रकरण में उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशपन लि0 द्वारा उ0प्र0 नवीन एवं नवीनकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण जो कि उ0प्र0 सरकार का विभाग है, को जमा योजना संबंधित सेवाऐ दी जा रही है जिसका प्रतिफल उ0प्र0 सरकार द्वारा अनुदान (Grant) के रूप में दिया जायेगा। अतः उ0प्र0 नवीन एवं नवीनकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण को दी जाने वाली विषयक सेवाऐ जी.एस.टी. से मुक्त रहेंगी तदनुसार उपरोक्त विषयक प्राक्कलन बनाते समय सभी खर्चो के बाद निगम द्वारा भारित किया जाने वाला जी.एस.टी. भारित नही किया जायेगा।

यदि भविष्य में भारत सरकार द्वारा किसी भी प्रकार की जी.एस.टी. की देयता निकाली जाती है तो ऐसी स्थिती में उ0प्र0 नवीन एवं नवीनकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण द्वारा राज्य सरकार से धनराशि प्राप्त होने पर जी.एस.टी. की धनराशि ब्याज सहित उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशपन लि0 को उपलब्ध करा दी जायेगी। इस संबंध में उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण से लिखित सहमति प्राप्त कर ली गयी है।

भवदीय,

(सेंथिल पांडियन सी.)
प्रबन्ध निदेशक

पत्र सं0: 65 /उ0म0प्र0(टैक्स)/जी.एस.टी. सेल/2019/ तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. निदेशक (वित्त)/(कार्मिक एवं प्रबन्धन)/(ऑपरेशन)/(कार्य एवं परियोजना)/(वाणिज्य एवं नियोजन)/(एस0एल0डी0सी0) उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन/गोमतीनगर, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता (डी0 एण्ड पी0)/765 केवी/सी0 एण्ड सी0/सी0एम0यू0डी0/ जानपद (i)/(ii) उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन/गोमतीनगर, लखनऊ।
3. मुख्य अभियन्ता पारेषण क्षेत्र – मध्य/पश्चिम/दक्षिण पूर्व/उत्तर–पूर्व/दक्षिण–पश्चिम/दक्षिण–मध्य उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0 लखनऊ/मेरठ /इलाहाबाद/गोरखपुर/आगरा/झांसी।
4. अधिशासी अभियन्ता विद्युत प्रेषण खण्ड, झाँसी।

भवदीय,

(एल0के0 गुप्ता)
महाप्रबन्धक
लेखा एवं सम्प्रेक्षा

स्पीड पोस्ट / ई-मेल

सं. /यूपीनेडा-एसई-पीवी-215एमडब्लू/.01/268/बिड (अडाणी)/2015-16
उ.प्र. नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण,
विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ
दिनांक: 3/5/, 2019

सेवा में,

प्रबंध निदेशक
यूपीपीटीसीएल,
07वाँ तल, शक्ति भवन,
14-अशोक मार्ग,
लखनऊ।

महोदय,

सौर ऊर्जा नीति-2013 के अन्तर्गत उपलब्ध प्राविधान के अनुसार बुन्देलखण्ड और पूर्वान्चल मे स्थापित की गयी सौर पावर विद्युत परियोजनाओं से उत्पादित विद्युत की निकासी हेतु यूपीनेडा द्वारा राज्य सरकार से बजटीय प्राविधान में धनराशि प्राप्त कर उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड को उ.के. एवं लाइन निर्माण हेतु समय-समय पर उपलब्ध करायी जाती है। यूपीपीटीसीएल द्वारा पारेषण लाइन एवं उ.के. निर्माण के प्रेषित आंकलन के सम्बन्ध में निम्नवत अवगत कराया जाना है:-

1. उ.प्र. नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपीनेडा) पूर्णतया राज्य सरकार से वित्त पोषित है।

2. पारेषण लाइन एवं उ.के. के निर्माण पर भविष्य में जीएसटी जमा किया जाना होगा एवं उक्त पर जीएसटी पेनाल्टी देय होगी तो राज्य सरकार से धनराशि प्राप्त होने पर यूपीनेडा द्वारा उपलब्ध करा दी जायेगी।

भवदीय,

(अनिल कुमार)
सचिव एवं मुख्य परियोजना अधिकारी, यूपीनेडा।